अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

29/5/18 वकील उभयपक्ष उप०। वकील रेस्पोंडेन्ट ने बहस हेतु समय चाहा। अतः पत्रावली आगे वकी० व बहस दिनांक 12/6/18 को पेश हो।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

12/6/18 वकील उभयपक्ष उप०। समय चाहा। अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 3/7/18 को पेश हो। इतना लिखने के पश्चात् रेस्पो. एक की ओर से भी उमेश गौड़ एड० ने वकी० पेश किया। आ. भा. हो। पत्रावली दिनांक 3/7/18 को पेश हो।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

3/7/18 अपीलार्थी व वकील अपीलार्थी एवं वकील रेस्पोंडेन्ट उपस्थित। वकील अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र विड्रॉ किए जाने अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अपील में दोनों पक्षों में राजीनामा हो गया है जिस कारण अपीलान्ट यह अपील आगे नहीं चलाना चाहती है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा अपील को आगे नहीं चलाने व विड्रॉ किये जाने से अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली जाब्ता सुमार होकर नम्बर से कम है। वहत न्यायालय विधिवत मुचित हो। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर